भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. †3029

दिनांक 22.03.2022 को उत्तरार्थ

ई-गवर्नेंस सिस्टम

†3029. श्री ज्ञानेश्वर पाटिल:

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा लोगों की सुविधा के लिए तथा पंचायत प्रशासन में पारदर्शिता लाने हेतु ई-गवर्नेंस सिस्टम विकसित करने के लिए क्या कदम उठाए गए है;

(ख) क्या सरकार की पंचायती राज संस्थाओं की सहायता से ग्रामीण लोगों के मूलभूत कार्यों के लिए 'द्वार पर सेवा परिदान सुविधा' को बढावा देने की कोई योजना हैं, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;और

(ग) सरकार की मध्य प्रदेश में नियमित डिजिटल कनेक्टिविटी में वृद्धि करने तथा पंचायतों के लिए बैंडविथ में वृद्धि करने संबंधी योजना कया है?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री

(श्री कपिल मोरेश्वर पाटील)

(क) पंचायती राज मंत्रालय ने ई-ग्राम स्वराज (ईजीएस) (https://egramswaraj.gov.in)- एक सुलभ वेब-आधारित पोर्टल का निर्माण किया है, जिसका उद्देश्य विकेंद्रीकृत आयोजना, प्रगति रिपोर्टिंग, वित्तीय प्रबंधन और सृजित परिसम्पत्तियों के ब्यौरा में बेहतर पारदर्शिता लाना है। पंचायतें ग्राम पंचायत विकास योजनाओं को ईजीएस के नियोजन मॉड्यूल के माध्यम से अपलोड करती हैं। वेंडर/सेवा प्रदाताओं को ऑनलाइन भुगतान ईजीएस-पीएफएमएस इंटरफेस (ईजीएसपीआई) के माध्यम से किया जाता है।

वर्ष 2021-22 के लिए अब तक 2.54 लाख जीपीडीपी ईजीएस पर अपलोड किए जा चुके हैं। इसके अलावा, 2,32,190 पंचायतें ई-ग्राम स्वराज - पीएफएमएस इंटरफेस पर ऑनबोर्ड हो चुकी हैं; 1,99,235 पंचायतों

ने कुल 70,000 करोड़ रुपए की संचयी राशि (सभी ऑनबोर्ड योजनाओं सहित) से अधिक का ऑनलाइन भुगतान ई-ग्राम स्वराज- पीएफएमएस इंटरफेस के माध्यम से किया है।

इसके अलावा, पंचायत खातों अर्थात ग्राम पंचायतों की प्राप्ति और व्यय की समय पर लेखापरीक्षा सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने एक ऑनलाइन एप्लीकेशन - ऑडिटऑनलाइन (https://auditonline.gov.in) की शुरूआत की है। यह एप्लिकेशन न केवल पंचायत खातों की लेखा परीक्षा की सुविधा प्रदान करता है बल्कि लेखा परीक्षा रिकॉर्ड को सुरक्षित भी रखता है। यह एप्लिकेशन ऑडिट पूछताछ, ड्राफ्ट स्थानीय ऑडिट रिपोर्ट, ड्राफ्ट ऑडिट-पैरा आदि के लिए प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है और इस प्रकार पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार के लिए पंचायतों द्वारा खातों का उचित रखरखाव सुनिश्चित करता है। अब तक 2020-21 की ऑडिट अवधि के लिए 1.65 लाख ऑडिट योजनाएँ बनाई गई हैं और 75,044 ऑडिट रिपोर्ट तैयार की गई हैं।

(ख) पंचायती राज मंत्रालय ने 29 क्षेत्रों में सेवाओं के वितरण के लिए एक मॉडल पंचायत सिटीजन चार्टर/ढांचा तैयार किया है, जो पंचायतों को अपनाने और अनुकूलित बनाने के लिए स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के साथ कार्यों को संरेखित करता है। इसका उद्देश्य लोगों को समयबद्ध तरीके से सेवाएं प्रदान करना, उनकी शिकायतों का निवारण करना और उनके जीवन को बेहतर बनाना है। 'मेरी पंचायत, मेरा अधिकार- जन सेवायें हमारे द्वार' अभियान 01 जुलाई से 15 अगस्त, 2021 तक शुरू किया गया था। यह अभियान ग्राम पंचायतों द्वारा नागरिक को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की विभिन्न श्रेणियों को सुनिश्चित करने और ऐसी सेवा के लिए समय सीमा निर्धारित करने के लिए एक प्रभावी रणनीति के रूप में उभरा है। ग्राम पंचायतों के पास, ग्राम सभाओं द्वारा अनुमोदित, पंचायत द्वारा नागरिक को प्रदान की जाने वाली सेवा के लिए समय सीमा तय करने वाला दस्तावेज सिटीजन चार्टर है। अभियान के दौरान सिटीजन चार्टर तैयार करने के लिए 2.21 लाख ग्राम सभा की बैठकें आयोजित की गईं।

(ग) डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए, देश में ब्रॉडबैंड द्वारा सभी ग्रामीण स्थानीय निकायों (लगभग 2.71 लाख आरएलबी) को जोड़ने के लिए नेटवर्क बनाने के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा भारतनेट परियोजना को चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है। दिनांक 14.03.2022 तक, देश में कुल 1.76 लाख आरएलबी (ब्लॉक मुख्यालय सहित) को सेवा के लिए तैयार किया गया है। दिनांक 30.06.2021 को भारतनेट का दायरा देश में ग्राम पंचायतों से सुदूर सभी बसे हुए गांवों तक बढ़ा दिया गया है।

मध्य प्रदेश में 23,318 ग्राम पंचायतों में से 17,760 को सेवा के लिए तैयार किया जा चुका है।

***